न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

पेन्यूअल प्रकरण संख्या	27/2020
G.C.M.S प्रकरण संख्या	2020/00221
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	26.11.2020
प्रकरण में निर्णय की दिनांक	22.07.2021

उनवान

1.कैलाशचन्द्र पुत्र देबीलाल ब्राह्मण नि.आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2.महेशचन्द्र पुत्र देबीलाल ब्राह्मण नि.आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा —प्रार्थीगण

बनाम

1.अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2.तेजभानसिंह मीणा हाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3.गीतादेवी पत्नि भंवरलाल ब्राह्मण नि.चोटियास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4.ओमप्रकाश पुत्र देबीलाल ब्राह्मण मृतक के बजाय
क.चन्द्रादेवी पत्नि ओमप्रकाश ब्राह्मण
ख.चन्द्रप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश ब्राह्मण
ग.अनिलकुमार पुत्र ओमप्रकाश ब्राह्मण समस्त नि.आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5.राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा —अप्रार्थीगण

उपस्थित - वकील प्रार्थिया	(1) श्री विवेककुमार बम्ब
उपस्थित -वकील अप्रार्थीगण	(1) पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA मे इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपत:निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92A RTA का इस न्यायालय में प्रस्तुत होकर विचाराधीन है।

(2) प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 3 तथा 4 की निम्नांकित शामलाती भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 ,प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/6 व विपक्षी संख्या 3 व 4 का क्रमशः हिस्सा 1/3,1/3 दर्ज रेकार्ड है जिसमें से अप्रार्थी संख्या 4 की मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिसान 4क से 4 घ है -

ग्राम का नाम	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
आसीन्द	148	3280	0.04	3282	0.03
कुल किता 2			[illegible] रकबा 0.07		

(3) प्रार्थीगण ने उक्त आराजियात से लगा[illegible] 3278 [illegible] 3279 कुल किता 3 रकबा 0.49 हैक्टर भूमि का नियमानुसार संपरिवर्तन सन 2020 में करवाया और [illegible] पालिका द्वारा मालिका हक स्वरूप पट्टा जारी किया गया। नगरपालिका आसीन्द द्वारा उक्त संपरिवर्तन से पूर्व मौका देखा गया और पर्चा [illegible] बनाया गया जिसमें उपरोक्त सभी आराजियात तथा विवादग्रस्त आ.नं.3281 व 3282 जो दोनों कुंये है उनकी व जमीन की सुरक्षा के लिये प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 3,4 ने पक्की पुख्ता दीवार नींव खोदकर जमीन की सतह से करीब 5 फीट ऊंचाई की चारों तरफ दीवार बनायी।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:35:58 IST
Reason: SelfAttested

(4) आ.नं.3282 आचाह की सुरक्षा के लिये दीवार बनी हुई थी जो कि आ.नं.3278,3281,7234/3279 के संपरिवर्तन के पश्चात बनायी गयी है। आ.नं.3282 व 3281 का संपरिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी कृषि भूमि बतौर आ चाह है।

(5) प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 3 तथा 4 की आराजी के सामने मैसर्स रिद्धी सिद्धी फर्म के नाम पर आ.नं.3306 व 3307 किता 2 रकबा 0.31 हैक्टर भूमि नगरपालिका द्वारा संपरिवर्तित की गयी।

(6) आराजी नम्बर 3284 जो कि बिलानाम गै.मु. रास्ता 40 फीट चौड़ा दर्शाया हुआ है तथा नगरपालिका आसीन्द ने आ.नं.3306 व 3307 का संपरिवर्तन करते हुये 40 फीट रास्ता नहीं छुड़ाया है जबकि पक्षकारान के नक्शा व प्लाट में स्पष्ट रूप से 40 फीट रास्ता अंकित है। आ.नं.3282 आज भी आ चाह है मौके पर आ.नं.3284 पर रास्ता चालू है। एंव आ.नं.3306 व 3307 आराजी का नगरपालिका आसीन्द ने 16.05.2014 को ही अवैधानिक रूप से संपरिवर्तन किया है।

(7) विपक्षी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण की आ.नं.3282 गै.मु.आ चाह की सुरक्षा दीवार को 24 घन्टे के नोटिस पर गिरादी जबकि सह खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये गलत व अवैध तरीके से 176 फीट लम्बी व 5 फीट ऊंची दीवार को गिरा दिया।

(8) अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त आराजियात में बिना किसी हक अधिकार के जबरन रास्ता कायम करने पर आमादा है जिसका कि विपक्षी संख्या 1 व 3 को कोई हक एंव अधिकार नहीं है।

(9) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर बहक प्रार्थीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमायी जावे कि प्रार्थीगण की निजी मिलकियात कब्जे एंव खातेदारी शुदा विवादग्रस्त आ.नं.3280 व 3282 किता 2 रकबा 0.07 हैक्टर में विपक्षी संख्या 1 व 2 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग-उपत्रोग में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न करें व न ही किसी अन्य से करावें। प्रार्थीगण की आराजी में जबरन रास्ता कायम न करने व पक्की सड़क न बनाने तथा प्रार्थीगण द्वारा आ.नं.3280 व 3282 आ चाह की सुरक्षा के लिये पुनः पक्की दीवार बनाने पर किसी तरह का हस्तक्षेप बाधा उत्पन्न नहीं करें।

(10) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम की विधिवत रूप से रूक-रूक कर आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना के उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्द एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये गये है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्द वकील प्रार्थीगण द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(11) वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 व को प्रार्थीगण की आ.नं.3280 व 3282 के उपभोग व उपयोग मे कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करने ,उक्त वादग्रस्त आराजियात में जबरन रास्ता कायम नहीं करने तथा उक्त आराजियात की सुरक्षा हेतु पक्की दीवार बनाने मे कोई व्यवधान पैदा नहीं करने के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना फरमावें।

(12) प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायलय के क्षैत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

(13) पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन / अध्ययन किया जिससे जाहिर आया कि उक्त विवादित आराजियात में प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति एंव सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने से प्रार्थीगण उपरोक्त आराजियात के सम्बन्ध में वाद के अन्तिम रूप से निपटारा होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा का अधिकारी पाया जाता है

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:35:58 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को मूल वाद के निस्तारण तक निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण की निम्न कृषि भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे तथा जबरन रास्ता कायम नहीं करें -

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

ग्राम का नाम	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
आसीन्द	148	3280	0.04	3282	0.03
कुल किता 2			कुल रकबा 0.07		

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें। निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सी.एल.शर्मा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:35:58 IST
Reason: SelfAttested